

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 4

प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ` 2877.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 28,77,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 8

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ` 1644.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 16,44,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 4000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 2350.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 23,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु ` 1200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 12

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मछली उद्योग के लिए त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ` 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 13

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला पंचायतों को अनुदान हेतु ` 572.22 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,72,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अंतर्गत ब्याज के भुगतान हेतु ` 139.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,39,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15 से 16

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान हेतु केन्द्रांश ` 360.33 लाख एवं राज्यांश ` 90.09 लाख सहित कुल ` 450.42 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,50,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अंतर्गत ` 3795.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 37,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 18

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनपद पंचायतों को अनुदान हेतु ` 1144.45 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 11,44,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को अनुदान हेतु ` 4005.55 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 40,05,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 20

पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं हेतु राशि ` 2500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21

पंचायत क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु ` 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।